

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2022 -23 8514

दिनांक 28.08.2023

निमित्त:-

अधिशायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद।

विषय :-रामगढ माता जी परिक्रमा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु।

Proposal no.FP/RJ/Road/34310/2022 (9.06 ha)

संदर्भ:- संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा के पत्र क्रमांक 4492 दिनांक 25.08.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है की उच्च कार्यालय द्वारा प्रस्ताव के पार्ट-1 में आक्षेप लगाये गये है

अतः बिन्दु संख्या - 1 व 2 की पूर्ति कर शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

दिनांक

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.संभागीय मुख्य वन संरक्षक,कोटा।

sd
(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

कार्यालय सांभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता-किशोरपुरा कोटा-09 (राज0) ईमेल-ccffidp.kota@gmail.com दूरभाष- 0744-2500194
क्रमांक एफ.13()एफसीए/समुवसं/2023/4492 दिनांक : 25-8-2023

निमित्त

उप वन संरक्षक
बारां

विषय: Construction and widening of Ramgarh mata ji parikrma road. (Online Proposal No. FP/RJ/ROAD/34310/2018)

प्रसंग: आपका पत्रांक 8400 दिनांक 21.08.2023 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र से प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण उपरान्त निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएं/स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित है:-

1. प्रस्तावित रामगढ माताजी परिक्रमा रोड निर्माण से प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या 4733 बतायी गयी है, किन्तु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कितने पेड़ों का दोहन किया जावेगा, स्पष्ट नहीं किया है।
2. क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि खसरा न0 232, 233 तथा 244 व खसरा नम्बर 81 दो टुकड़ों में प्रस्तावित की गई है। नक्शे में दोनों टुकड़ों पर 9.06 है0 अंकित है। नक्शे पर अंकित सारणी में खसरा नम्बर 323 व 244 की भूमि ही अंकित है। स्थिति स्पष्ट करें।
3. साइट निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वनभूमि का स्टेटस सही अंकित नहीं किया गया है। क्लेअरेंशन रिजर्व में होने संबंधित विवरण इसी में अंकित किया जावें।

उक्त बिन्दुओं की पालना अपने स्तर/प्रयोक्ता अभिकरण से करायी जाकर सूचना शीघ्र भिजवावे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय
(महेश चन्द गुप्ता)
सांभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा